Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नंबर - 2, श्री अर्जुन राम मेघवाल ।

? (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं: -

(1) विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2024-2025 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा संकेतक की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 212/18/24]

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2024, जो दिनांक 1 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 995 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 213/18/24]

(3) मध्यस्थता अधिनियम, 2023 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय मध्यस्थता परिषद (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2024 जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 320 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय मध्यस्थता परिषद (अंशकालिक अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते) नियम, 2024 जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 321(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय मध्यस्थता परिषद (लेखाओं के वार्षिक विवरण के प्ररुप और रीति) नियम, 2024 जो दिनांक 13 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 322(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 214/18/24]

(4) भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 32 के अंतर्गत भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (सूक्ष्म और लघु उद्यम माध्यस्थम् का संचालन) विनियम, 2024, जो दिनांक 7 जून, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. ए- 60011/4/2024-प्रशासन-आईआईएसी में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 215/18/24]

माननीय अध्यक्ष : रिकॉर्ड में कुछ नहीं जा रहा है । आप सब बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री; तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव) : अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विद्यावारिधि विनियम, 2024, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल- 12015/25/2021-एएस( ।) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, स्नातकोत्तर - आयुर्वेद विनियम, 2024, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस (II). में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, स्नातकोत्तर भेषजी विनियम, 2024, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस (111). में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, स्नातकपूर्व के लिए आयुर्वेदिक औषध और शल्य चिकित्सा स्नातक विनियम, 2024, जो दिनांक 7 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021- एएस (IV). में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विनियम, 2024, जो दिनांक 21 मार्च, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल- 12015/18/2021 - एएस. में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान - स्वास्थ्यवृत्त और संबद्ध विज्ञान कार्यक्रम विनियम 2024, जो दिनांक 29 अप्रैल, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस-पीटी. 1.सी. में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (भेषजी में डिप्लोमा - आयुर्वेद) विनियम, 2024, जो दिनांक 2 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस-पीटी.1.बी. में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, भेषजी स्नातक-आयुर्वेद [बी. फार्म. (आयु.)] विनियम 2024, जो दिनांक 2 मई, 2024 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एल-12015/25/2021-एएस-पीटी.1.ए. में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 216/18/24]

(2) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022 2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT217/18/24]

(4) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2022 2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2022 2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 218/18/24]

12.04 hrs

At this stage, Shri Kalyan Banerjee, Shri Gurjeet Singh Aujla and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Rules, 2024 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.332(E) in Gazette of India dated 18th June, 2024, under sub-section (3) of Section 6 of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971.

[Placed in Library, See No. LT 219/18/24]

12.05 hrs